

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13/2026

Suryaprakash Soni @ Suraj Prakash S/o Bhagirath, Aged About 24 Years, Resident Of Near Mann Mandir Road Kanta Khathuriya Colony Police Station Jnv Colony District Bikaner. (At Present Lodged At Central Jail Bikaner)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through The Publice Prosecutor

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Shakti Singh
For Respondent(s)	:	Mr. Narendra Gehlot, PP Mr. Ramesh Kumar (I.O., Cyber Police Station, Bikaner)

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

27/03/2026

1. प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, साइबर पुलिस थाना, जिला बीकानेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 09/2025, अपराध अन्तर्गत धारा 317(2), 317(4), 318(2), 318(4), 61(2)(ए) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66 आई.टी. एक्ट के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।
2. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।
3. प्रार्थी-अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस मामले में प्रार्थी-अभियुक्त के खाते में कोई राशि जमा नहीं हुई है। प्रार्थी-अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त अभिमन्यु को पुलिस द्वारा तपतीश में मुलजिम नहीं माना है, जबकि सारी कार्यवाही अभिमन्यु द्वारा ही की गई है। प्रार्थी-अभियुक्त से कोई डिवाइस बरामद नहीं हुआ है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

4. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी-अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

5.1 मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अनुसंधान अधिकारी को आज तलब किया गया था, जिसने आर्यन सोनी, सुशील शर्मा व भीमसिंह के बयानों की ओर ध्यान आकर्षित किया।

5.2 मेरे द्वारा उन तीनों गवाहान के बयानों पर विचार किया गया। जिनके द्वारा यह स्पष्ट है कि प्रार्थी-अभियुक्त सूरज सोनी के विरुद्ध मुख्य रूप से उनका खाता लेकर रकम उनके खातों में ट्रांसफर करके निकलवाने का आरोप है। मामला गंभीर प्रकृति का प्रतीत होता है।

6. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए इस स्टेज पर गवाहान आर्यन सोनी, सुशील शर्मा व भीमसिंह के बयानों से पूर्व प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7. परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता खारिज किया जाता है। साथ ही, प्रार्थी-अभियुक्त उक्त तीनों गवाहान के बयानों के पश्चात् पुनः जमानत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र रहेगा।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J